क्या सुप्रीम कोर्ट मुहर लगाए तभी देश में कोई कानून बनेगा : जगदीप धनखड़

संसद के कामकाज में अदालती दखलअंदाजी पर उपराष्ट्रपति ने नाराजगी जताई

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद के कामों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ''संसद कानून बनाता है और सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देता है। क्या संसद द्वारा बनाया गया कानून तभी कानून होगा, जब उस पर कोर्ट की मुहर लगेगी। धनखड़ ने यह बात बुधवार को राजस्थान विधानसभा में आयोजित 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कही। उपराष्ट्रपति के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अदालती हस्तक्षेप पर नाराजगी जताई। विधानसभा अध्यक्ष सी.पी.जोशी ने कार्यपालिका को तानाशाह बताया।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वर्ष 1973 में एक बहुत गलत परंपरा चालू हुई। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया दिया कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके

राजस्थान विधानसभा में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। उद्घाटन करने वालों में बायें से राजस्थान विधानसभाध्यक्ष डॉ.सी.पी.जोशी, लोकसभाध्यक्ष ओम बिड़ला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद थे।

- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ''अदालतें मर्यादा का पालन करें, अपनी शक्तियों का संतुलन भी बनाए। हमारे सदनों के अध्यक्ष यही चाहते है।''
- राजस्थान विधानसभाध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने कहा ''स्पीकर हैल्पलेस है, सिर्फ रैफरी बने हुए हैं।''

बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं। कोर्ट को सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि इससे मैं सहमत नहीं। हाउस बदलाव कर सकता है, यह सदन बताए कि क्या इसे किया जा सकता है? क्या संसद को यह अनुमति दी जा सकती है कि उसके फैसले को कोई और संस्था रिव्यू करे?

धनखड़ ने आगे कहा कि जब मैंने राज्यसभा के सभापति का चार्ज लिया तब कहा था कि न तो कार्यपालिका कानून को देख सकती है, न कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है। संसद के बनाए कानून को किसी आधार पर कोई संस्था अमान्य करती है तो प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। तब तो यह कहना मुश्किल होगा कि हम लोकतांत्रिक देश है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कहा कि देश की न्यायपालिका भी मर्यादा का पालन करें। न्यायपालिका से उम्मीद की जाती है कि जो उनको संवैधानिक अधिकार दिया है, उसका उपयोग करें। साथ ही अपनी शक्तियों का संतुलन भी बनाए। हमारे सदनों के अध्यक्ष यही चाहते है।

इसी तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि कई बार न्यायपालिका से मतभेद होते हैं। ज्यूडिशियरी हमारे कामों में हस्तक्षेप कर रही है। इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स खत्म किए थे, इसे ज्यूडिशियरी ने रद्द कर दिया था। बाद में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर उनके सब फैसलों के पक्ष में जजमेंट आए। इसी तरह राज्यसभा सभापति हरिवंश ने भी विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका में सामंजस्य स्थापित करने की बात दोहराई।

इसी तरह राजस्थान विधानसभा के स्पीकर डॉ. सीपी जोशी ने कहा कि आज संसदीय लोकतंत्र के सामने कई चुनौतियां हैं। आज कार्यपालिका की तानाशाही है। विधानसभा सदनों की बैठकें ही कम हो रही हैं तो सरकार को जवाबदेह कौन बनाएगा। विधानसभा स्पीकर तो हेल्पलेस हैं। विधानसभा के स्पीकर तो केवल रेफरी हैं। स्पीकर विधानसभा नहीं बुला सकते हैं। यह काम सरकार करती है। दुर्भाग्य यह है कि हम केवल हाउस चलाते हैं। बाकी कोई पावर नहीं हैं, स्पीकर हेल्पलेस है।

'संसद-विधानसभा में जनप्रतिनिधियों को अशोभनीय बर्ताव चिंताजनक'

जयपुर (कासं)। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद और विधानसभाओं में जनप्रतिनिधियों के अशोभनीय रवैये पर नाराजगी जाहिर की।

धनखड़ ने कहा कि आज संसद और विधानसभाओं में हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों का बर्ताव संसद और विधानसभा सदनों में बहुत गिरता जा रहा है। इस निराशाजनक माहौल का समाधान निकाला जाए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। संसद और विधानसभा सदनों में जनप्रतिनिधियों के अशोभनीय बर्ताव से जनता नाराज है। गले नहीं उतरता कि संविधान की शपथ लेने वाले जनप्रतिनिधि ऐसे आचरण करते है। लोग सोचते हैं कि हमारे चुनकर भेजे हुए जनप्रतिनिधि रास्ता दिखाएंगे। दरअसल बुधवार को राजस्थान विधानसभा में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शुरू हुआ। देश के अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शरीक होने जयपुर पहुंचे है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 40 साल से मैंने भी देखा है। कई बार हाउस नहीं चलता। दस-दस दिन तक गतिरोध चलता है। फिर भी पक्ष और विपक्ष मिलकर भूमिका निभाते हैं। पक्ष-विपक्ष अपनी-अपनी बात करते हैं, जब 75 साल निकल गए हैं तो देश का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। हम संविधान की रक्षा करें। कई बार उस पर भी सवाल उठते हैं। देश में जो माहौल होता है, उसका लोकसभा-विधानसभा हाउस पर भी फर्क पड़ता है।

'न्याय सुगम बनाने में मील का पत्थर साबित होगा लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम'

मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंकज मित्थल ने बुधवार को न्यू हाइकोर्ट बिल्डिंग में लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया।

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंकज मित्थल ने कहा कि लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम राज्य में कमजोर एवं वंचित वर्ग के व्यक्तियों को फौजदारी मामलों में सक्षम एवं प्रभावी विधिक सहायता प्रदान कराने तथा उनकी न्याय तक सुगम बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। मित्थल बुधवार को न्यू हाइकोर्ट बिल्डिंग में लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्य न्यायाधिपति ने कहा कि लीगल एड डिफेंस काउसिल सिस्टम लागू करने का विचार यूरोप के पब्लिक डिफेंडर सिस्टम के समकक्ष है। इसके माध्यम से समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग के पात्र व्यक्तियों को फौजदारी मामलों में द्राचांगत सक्षम एवं प्रभावी विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाई जाकर उनकी न्याय तक पहुंच को अधिक सुगम बनाया जा सकेगा।

न्यायाधिपति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि मुख्य न्यायाधिपति के कर कमलों से राजस्थान राज्य के 23 न्यायक्षेत्रों में लीगल एड डिफेंस काउसिंल का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि शेष 13 न्यायक्षेत्रों में सिस्टम की प्रक्रिया विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण द्वारा लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम को देश में 22 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के 365 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रथम फेज में राजस्थान के समस्त 36 न्यायक्षेत्रों में लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम को प्रारंभ करने का निर्णय भी लिया गया है।

प्रशासनिक न्यायाधिपति संदीप मेहता, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर के अध्यक्ष न्यायाधिपति विजय बिश्नोई, जज-इन्चार्ज-मीडियेशन, जोधपुर न्यायाधिपति अरूण भंसाली भी लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम के लॉचिंग समारोह से जुडें।

सरस का दुग्ध संकलन 50 लाख के पार पहुंचा

जयपुर, (का.सं.)। एक ही दिन में रिकार्ड 50 लाख लीटर से अधिक दूध का संकलन कर राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन ने नया इतिहास रचा है। डेयरी फैडरेशन के 45 वर्षों के इतिहास में एक ही दिन में यह सर्वाधिक दुग्ध संकलन है।

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी की प्रशासक और प्रबन्ध संचालक सुषमा अरोड़ा ने बताया कि 10 जनवरी को राजस्थान राज्य में फैडरेशन से जुड़े 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में 52 लाख 51 हजार लीटर दूध संकलित कर रिकार्ड बनाया है। इसमें जयपुर जिला दुग्ध संघ का हिस्सा लगभग आधा है।

'गहलोत भाजपा की चिंता छोड़ें'

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने कहा कि, अशोक गहलोत भाजपा की चिंता छोड़ें, अपने गिरेबान में झांको, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते।

कोटा जेके लोन अस्पताल में उचित व्यवस्था बनाए रखे सरकार : हाईकोर्ट

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में दायर जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए राज्य सरकार को कहा है कि वह अस्पताल में उचित व्यवस्था बनाए रखे। अदालत ने कहा कि मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकारिता आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि अस्पताल में सभी सुविधाएं और संसाधन हैं। इसलिए इस जनहित याचिका में आगे निर्देश देने की जरूरत नहीं है। अदालत की राय में जनहित याचिका दायर करने का उद्देश्य भी पूरा हो गया है। सीजे पंकज मित्थल और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ. मिथिलेश कुमार गौतम की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकारिता आयोग की ओर से कहा गया अस्पताल में दिसंबर, 2019 में 77 बच्चों की मौत को लेकर आयोग की सदस्य सचिव रुपाली सिंह, वरिष्ठ विशेषज्ञ शाइस्ता खान और बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अविनाश बंसल का निरीक्षण टीम बनाई गई थी। टीम ने 28 मार्च, 2022 को अस्पताल का दौरा किया था। जिसमें पाया गया कि अस्पताल में पर्याप्त संसाधन और सुचारू व्यवस्थाएं हैं और सिर्फ नर्सिंग स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है। वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्येन्द्र सिंह राघव ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ बढ़ाने को लेकर उचित कदम उठाए जा रहे हैं। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट को देखने के बाद अदालत ने अस्पताल में उचित व्यवस्थाएं बनाए रखने के निर्देश देते हुए जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया। जनहित याचिका में कहा गया था कि अस्पताल में सुचारू व्यवस्था नहीं होने के चलते दिसंबर, 2019 में बड़ी संख्या में नवजात की मौत हुई है। यहां तक की वेंटिलेटर और वार्मर खराब पड़े हैं और आईसीयू के शीशे टूटे होने के कारण बच्चों को सर्दी झेलनी पड़ी। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि मरने वाले बच्चों में से अधिकांश का पूर्व में निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था और उन्हें अति गंभीर होने पर जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

ज्योतिष-हस्तरेखा की कक्षाये 15 से

जयपुर, (का.सं.)। भारतीय ज्योतिष विज्ञान एवम वैदिक खगोल शास्त्र संस्था द्वारा ज्योतिष ,वास्तु, हस्तरेखा की क्लास 15 जनवरी से (एन.एस.वी.) 32 नेहरू प्लेस टोंक रोड पर प्रारम्भ हो रही है ।

संस्था अध्यक्ष प. प्रेम शंकर शर्मा ने बताया कि संस्था विगत 22 वर्षो से ज्योतिष की शिक्षा प्रदान कर रही है । आजकल युवा वर्ग ज्योतिष के क्षेत्र में अपना करियर बना रहे है । संस्था द्वारा विद्यार्थियो को प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत प्रैक्टिकल हेतु प्लेटफार्म भी प्रदान किये जाते है । संस्था से पढ़े हुए कई विद्यर्थियों ने स्व रोजगार के रूप में इसे अपनाया है । सभी विद्यर्थियों को किताबे, ज्योतिष सिद्धान्त पत्रिका इत्यादि संस्था द्वारा नि:शुल्क दिया जाता है।

तीये की बैठक

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मपत्नी **मंजू राठौर** का स्वर्गवास दिनांक 10.01.23 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 12.01.23 को सांय 3:00-4:00 बजे तक संघीजी की नसिया, खानियां, आगरा रोड, जयपुर में रखी गई है।

शोकाकुल- सुभाष राठौर (पति), चंद्रकान्त-प्रेमलता (जेठ- जेठानी), श्यामा- कैलाश जी (ननंद- नंदोई), शालू- दिनेश जी, अनुपमा- जितेश जी (पुत्री- दामाद), कृष्णकान्त- राखी (भतीजा- भतीजावधू), नितिन- चंचल, प्रेमचंद- पिंकी (पुत्र-पुत्रवधू), राघव भाव्यांश, वैभव, जिया, खुशी (पौत्र, पौत्री) एवं समस्त पण्डियार परिवार। मो.- 9928623590

अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है की मेरे पूजनीय पिताजी **श्री कालूराम जी प्रजापत** कोठी वाले का देवलोकगमन दिनांक 10.01.2023 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 12.01.2023 गुरुवार को दोपहर 3:00 से 4:00 श्याम पार्क सेक्टर 5 ओम शिव कॉलोनी शास्त्री नगर जयपुर पर होगी।

शोकाकुल- गोपाली (धर्मपत्नी), उमाशंकर-मंजू (पुत्र- पुत्रवधु), आशा- स्व. बाबूलाल जी, पुष्पा- नवरतन जी, गीता- मनोहर जी, तनीषा- दीपक जी (पुत्री, पोत्री-दामाद), राजकुमार (पौत्र), बाबूलाल बंसीलाल (भाई), श्रवण, सीताराम, गुलाबचंद, डालचंद, राजेश, धर्मेंद्र, जगदीश (बस्सी) भतीजे एव समस्त रेनीवाल परिवार।

9529152669, 9079375899

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

मुख्यमंत्री, गृहमंत्री भी हैं, जिन्होंने पुलिस को अपने विधायकों की जासूसी के लिए लगा रखा है : डॉ.पूनियां

श्रीगंगानगर/जयपुर। श्रीगंगानगर जिले के विजयनगर और घड़साना में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने जन आक्रोश महासभाओं को संबोधित किया, जहां किसानों-युवाओं का भारी जनसैलाब उमड़ा।

उन्होंने कहा कि जब मैं आपके बीच में आया हूं तो यह जो जन आक्रोश यात्रा है, यह किसी को लगता होगा कि यह राजनीति की यात्रा है, यह पार्टी की यात्रा है, यह जनता की यात्रा है और जनता की यात्रा इसलिए है कि मुझे एक पर्चा दिया है इसमें खूब सारी बातें लिखी हैं रायसिंहनगर में किसानों की सिंचाई की सुविधा की दिक्कत है, जो सीमा पार खेत हैं उनकी दिक्कत है, सहायता राशि नहीं मिलने से डिग्गियों के निर्माण में दिक्कतें आ रही है, किसानों का आबियाना माफ नहीं हो रहा, ट्रोमा सेंटर यहां पर नहीं है। शहीद भगत सिंह कॉलेज के लिये सरकारीकरण करने की डिमांड है, ऐसी बहुत सारी चीजें यहां के लोगों ने शिकायतों में लिखी हैं, इसका मतलब है कि यहां पर बहुत सारी तकलीफ तो दिखती हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा तकलीफें यहां हैं, जिनका समाधान कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने नहीं किया, 2023 में भाजपा की सरकार बनने पर श्रीगंगानगर से लेकर पूरे राजस्थान के किसानों, युवाओं और माता-बहनों की तरक्की व स्वाभिमान के लिये कार्य करेगी।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि 10 तक गिनती गिनूंगा और राजस्थान के सारे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, किसान भाइयों 1500 दिन हो गए और 1500 दिन का नजारा यह है कि मैंने विधानसभा में यह सवाल लगाया कि बताइए कि अब तक राजस्थान के कितने किसानों की जमीन नीलाम हो गई,

श्रीगंगानगर जिले में आक्रोश महासभाओं में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ.सतीश पूनियां ने भाग लिया, जहां किसानों-युवाओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा।

- श्रीगंगानगर जिले में जन आक्रोश महासभाओं को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा, ''मुझे पूरा भरोसा है कि सभी 36 कौम के लोगों के आशीर्वाद से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी''
- 'राहुल गांधी ने किसान कर्जमाफी को लेकर जो झूठ बोला, उसके कारण राजस्थान के 18 हजार से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, 200 से अधिक किसान सुसाइड कर चुके'

जवाब आया कि 18 हजार से अधिक किसानों की जमीन नीलाम हो चुकी है। मैंने दूसरा सवाल पूछा कि कितने किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली, 200 से अधिक किसानों ने कर्ज से तंग आकर सुसाइड कर लिया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में कोई किसान, गरीब मजदूर मेहनत कर अपने बच्चे को कोचिंग भेजता है, प्रतियोगी परीक्षा का फार्म भरवाता है, इस उम्मीद के साथ नौकरी लग जाए, राजस्थान में 30 प्रतिशत बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और नौकरी की उम्मीद में जब परीक्षा देने सेंटर पर पहुंचता तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया।

पूनिया ने कहा कि यहां की पुलिस कमजोर हो गई, थाने नीलाम हो गए और राजस्थान के गृहमंत्री के यदि गुमशुदा की तलाश के पोस्टर लगा दोगे तो भी गनीमत है और आपको यह भी पता होगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री राजस्थान गृहमंत्री हैं, जिन्होंने पुलिस को अपने विधायकों की जासूसी के लिए तो लगा रखा है, लेकिन राजस्थान की जनता की सुरक्षा के लिए उनकी आपके प्रति गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रदेश में जंगलराज जैसे हालात हैं।

मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे 36 कौम के लोगों ने किसानो भाईयों ने, नौजवान भाईयों ने जिस तरीके से मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं आपको भरोसा देता हूं 2023 में सरकार बदलेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन इस बार की भाजपा की सरकार यह कार्यकर्ता की सरकार होगी, जनता की सरकार होगी, राजस्थान में लंबे समय तक किसानों की भलाई के लिए, नौजवानों की भलाई के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, पिछडों और दलित और वंचितों के लिए काम करेंगे।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड संख्या-10/MA/32 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 96.00 वर्ग मीटर का आवंटन श्री छोट्या पुत्र श्री भवरिया को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 4206 दिनांक 06.11.2007 जारी किया गया था। उनके द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर चतुर्थ में दिनांक 26.03.2013 को करवाया गया। श्री छोटूराम मीणा की मृत्यु दिनांक 14.01.2016 को हो जाने के पश्चात श्री सीताराम मीणा पुत्र स्व.श्री छोटूराम मीणा के द्वारा क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, हकत्याग (रजिस्टर्ड) एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर, उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का हस्तान्तरण अपने नाम से करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त विकसित भूखण्ड हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्री सीताराम मीणा पुत्र स्व. श्री छोटूराम मीणा के पक्ष में उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड संख्या-10/MA/33 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 96.00 वर्ग मीटर का आवंटन श्री छोट्या पुत्र श्री भवरिया को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 4207 दिनांक 06.11.2007 जारी किया गया था। उनके द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर चतुर्थ में दिनांक 26.03.2013 को करवाया गया। श्री छोटूराम मीणा की मृत्यु दिनांक 14.01.2016 को हो जाने के पश्चात श्री सीताराम मीणा पुत्र स्व.श्री छोटूराम मीणा के द्वारा क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, हकत्याग (रजिस्टर्ड) एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर, उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का हस्तान्तरण अपने नाम से करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त विकसित भूखण्ड हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्री सीताराम मीणा पुत्र स्व. श्री छोटूराम मीणा के पक्ष में उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

आम सूचना दि. 10.01.2023
मेरे अभिभाष्य श्री रामेश्वर प्रसाद पुत्र श्री राधाकिशन जाति बागड़ा ब्राह्मण आयु 91 साल निवासी ग्राम बावडी कौशल्यादास तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर की ओर से हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या नया 28 खसरा नंबर 664, 667 से 669, 796, 802 से 804, 809, 810, 812, 814, 816, 818/1, 818/2, 818/3, 818/4, 818/5, 819, 820, 827, 828, 832, 834, कुल किता 24 कुल रकबा 8.9908 हिस्सा 1/6, खाता संख्या नया 27 खसरा नंबर 782, 784 से 786, 789, 790, 797, 826, 829 से 831 कुल किता 11 कुल रकबा 3.6545 हैक्टयर हिस्सा 1 /6, खाता संख्या नया 7 खसरा नंबर 780, 781 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2402 हैक्टयर हिस्सा 1/12, खाता संख्या नया 43 खसरा नंबर 865/ 1143 रकबा 0.7334 हैक्टयर हिस्सा 1/2, खाता संख्या 37 खसरा नंबर 851, 855, 856, 858 से 860 कुल किता 6 कुल रकबा 2.3394 हैक्टयर हिस्सा 1/4 स्थित ग्राम बावडी कौशल्यादास तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिस पर मेरे अभिभाष्य तथा उसके पुत्र गोवर्धन, अनिल कुमार शर्मा काबिज काश्त है, उक्त वर्णित कृषि भूमि को मेरे अभिभाष्य ने किसी व्यक्ति या संस्था को विक्रय इकरारनामा, पावर ऑफ अटार्नी, इत्यादि किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नही किया है । यदि कोई व्यक्ति मेरे अभिभाष्य के नाम से कोई विक्रय पत्र, इकरारनामा, पावर आफ अटार्नी की कूटरचना करता है तो वह अमान्य व अवेध होगा । भवदीय
श्रीप्रकाश तिवाडी एडवोकेट, फोनः 2731813, मो.: 9414338407

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या- 14/MB/322 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 112.00 वर्ग मीटर का आवंटन श्री राम अवतार शर्मा पुत्र श्री प्रेम दत्त शर्मा को किया गया था। जिसका आंवटन पत्र क्रमांक 1992 दिनांक 11.06.2014 जारी किया गया। उनके द्वारा कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर अष्टम में दिनांक 23.07.2014 को उक्त आवास का मुख्त्यारनामा आम श्री रामभरोसी मीणा पुत्र श्री राम सहाय मीणा को नियुक्त किया गया। जिसके द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर-चतुर्थ में दिनांक 06.02.2015 को करवाया गया। तत्पश्चात मुख्त्यारनामा आम श्री रामभरोसी मीणा पुत्र श्री राम सहाय मीणा के द्वारा उक्त आवास का बेचान जरीये विक्रय पत्र के श्री सन्नी सैनी पुत्र श्री कप्तान सिंह सैनी को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 12.02.2015 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री सन्नी सैनी पुत्र श्री कप्तान सिंह के द्वारा उक्त आवास का बेचान जरीये विक्रय पत्र के श्रीमती सरिता मीना पत्नी श्री महेन्द्र सिंह मीना को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर चतुर्थ में दिनांक 22.02.2021 को करवाया गया। श्रीमती सरिता मीना पत्नी श्री महेन्द्र सिंह मीना के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्रीमती सरिता मीना पत्नी श्री महेन्द्र सिंह मीना के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

कार्यालय उपआवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांकः-DHC-II/2478 दिनांक-04.01.2023
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 79/114, मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 233.49 वर्गमिटर/वर्गगज का आवंटन श्री विजय कृष्ण लोरिया पुत्र श्री महाराज कृष्ण लोरिया को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3921 दिनांक 28.03.1995 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 10.04.1996 को प्राप्त कर लिया गया था। राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 4885 दिनांक 31.10.2002 के द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री बलराम तिवाडी के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 01.12.2002 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा की मृत्यु दिनांक 15.05.2021 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री शरद शर्मा पुत्र स्व. श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री शारदा शर्मा पुत्र स्व. श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अन्सार अहमद, मुख्तार अहमद पुत्रान अजीमुद्दीन दुकान/मकान नम्बर 1345 व 1346 मुस्लिम मुसाफिर खाने के सामने, मोती डूंगरी रोड, चौकडी हवाली शहर जयपुर मे अब्दुल गफ्फार व अब्दुल रज्जाक पुत्रान करीम बक्श से दोनो का अविभाजित आधा हिस्सा खरीद करना चाहते हैं दोनों ''विक्रेतागण'' मकान के पैसेज पश्चिम मुखी के ठीक बराबर स्थित दुकान जिसमें मैसर्स एवन इलैक्ट्रीकल्स के नाम से व्यवसाय कर रहे है तथा दुकानों के पीछे स्थित दो कमरे पूर्व मुखी तथा टीनशेड कमरा पश्चिम मुखी व रसोई तथा दोनों दुकानात के ऊपर बना टीन-पोश हाल, खुली छत तथा टीनपोश कमरा पश्चिम मुखी का वास्तविक कब्जा भी ले रहे है। किसी को आपत्ती हो तो तीन योम में बतायें। अन्यथा आपत्ति अमान्य होगी।
जयपुर (मुस्तकीम) एडवोकेट
दिनांक-11.01.2023 मो. 8302219737

आम सूचना
हम मंगतु राम शर्मा पुत्र श्री गणेश दत्त शर्मा एवं श्रीमती हेमलता शर्मा पत्नी श्री मंगतु राम शर्मा निवासी म.न. 7/316, राजस्थान आवासन मण्डल कॉलोनी, भिवाडी तह. टपूकड़ा जिला अलवर (राज.) हाल निवासी विला नंबर 7, पीयूष सिटी, भिवाडी सर्व साधारण को सूचित करते है कि हमारा पुत्र शुभम शर्मा एवं पुत्रवधु चंचल शर्मा हमारे कहने सुनने से बाहर है एवं हमारे साथ झगड़ा फसाद करते है। इन दोनों के कार्य व्यवहार से परेशान हो कर हम दंपति पुत्र शुभम शर्मा एवं पुत्रवधु चंचल शर्मा को अपनी समस्त चल अचल संपति से बेदखल कर रहे है। उक्त दोनों असमाजिक व गैर कानूनी कार्यो के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे व कोई भी उक्त दोनों से किसी भी प्रकार का लेन देन करेगा तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
- मंगतु राम शर्मा एवं हेमलता शर्मा

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अभिभाष्य गिर्राज प्रसाद सोनी पुत्र श्री गोविन्द नारायन, निवासी-935, गोरधन नाथ जी की गली, चौकडी मोदी खाना, जयपुर, राजस्थान-302003 की ओर से हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरा अभिभाष्य अपने पुत्र अभिषेक सोनी पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद सोनी, उम्र 27 वर्ष, निवासी- 91, गायत्री नगर-ए, महारानी फार्म, जयपुर, राजस्थान-302018 को पिछले कुछ समय से मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है तथा उसका आचरण व्यवहार समाज विरोधी है, जिससे मेरा अभिभाष्य काफी हैरान परेशान होने से मेरा अभिभाष्य अपने उक्त पुत्र अभिषेक सोनी को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करता है। आज के बाद मेरे अभिभाष्य के उक्त पुत्र अभिषेक सोनी द्वारा किये गये किसी भी संव्यवहार व कृत्य के लिए मेरा अभिभाष्य किसी भी प्रकार से जिम्मेदार व जवाब देह नहीं होगा।
जयपुर (जितेन्द्र सिंह चौहान) एडवोकेट
दिनांक- मो.नं. 9602411333

नाम परिवर्तन

I Have Changed My Name From Tripta Jeendgar To Tripta Devi Jeendgar W/O Girish Jeendgar For All Purpose R/o Ward No. 13 Sangaria Hanumangarh (Raj.)

I Have Changed My Name From Rachita Rathi To Rachita Hurket W/O Shubham Hurket For All Purpose R/O D-9 AnandBadi Galta Road Johari Bazar Jaipur.

I Abdul Waheed S/o Abdul Rashid R/o Munir Manzil Topkhane ka rasta Chandpole Bazar Jaipur have changed my name to Abdul Wahid for all future purpose.

I Farooq Khan S/o Abdul Salam R/o 3864 Munir Manzil Kalwar House Topkhana Road Chandpole Jaipur have Changed my name to Farook Khan for all future purpose.

I, Jyoti Shekhawat D/o Rajendra Singh R/o Khatipura Road 175, Vrandavan Colony Jhotwara, Jaipur, Jhotwara, Rajasthan-302012, hereby undertake that I, Jyoti Shekhawat want to change my name to Jeevansh Singh Shekhawat and gender as MALE.

मैनें अपना नाम राकेश कुमार टाक से बदलकर राकेश टांक पुत्र श्री राजगोपाल टाक निवासी 1-एफ-47, मालवीय नगर, जयपुर रख लिया है भविष्य में मुझे राकेश टाक के नाम से जाना पहचाना जावे।

मैं संगीता शेखावत पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत निवासी-प्लॉट नम्बर-37, हरि नगर, झोटवाडा, जयपुर ने अपना नाम संगीता से संगीता शेखावत रख लिया है। भविष्य में मुझे संगीता शेखावत नाम से जाना जावे।

मैं भीवांराम चौधरी निवासी अमरपुरा तह. फागी जिला जयपुर राज. मैने अपना सरनेम बदलकर भीवांराम खोखर करवा लिया है सभी दस्तावेजों में मेरा सरनेम खोखर है। भविष्य में मुझे भीवांराम खोखर के नाम से जाना व पहचाना जावे।

जयपुर विकास प्राधिकरण
इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
सार्वजनिक सूचना ग्राम बड़ी का बास तहसील सांगानेर, जयपुर के खसरे नंबर 107, 108 एवं 113 में स्थित मुख्यमंत्री जनआवास योजना-2015 के प्रोविजन 3ए के अंतर्गत अनुमोदित करवाकर भवन मानचित्र दिनांक 29.11.2017 को ज.वि.प्रा. द्वारा जारी किया गया था। उक्त जारी भवन मानचित्रों को निरस्त करवाते हुए उक्त परियोजना के संबंध में विकासकर्ता की ज.वि.प्रा. में परियोजना के पेटे कोई लेय राशि बकाया राशि नहीं है एवं परियोजना में प्रस्तावित इकाइयों में से किसी की बुकिंग/बेचान नहीं किया गया है एवं भविष्य में कोई वाद-विवाद होता है तो संपूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। अतः इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन के 7 दिवस के अंदर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करें।
वरिष्ठ नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)/उपायुक्तजोन-14

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय MM No.-4 जयपुर महानगर प्रथम
महेश अग्रवाल विरूद्ध विरेन्द्र सिंह
वाद सं. 57/सन् 2021
बनाम विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिवचरण सिंह जाति चौधरी स्थान प्लाट नं. 102, सुल्तान नगर, गुर्जर की थडी, जयपुर वादी ने आपके विरुद्ध वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 29 माह 03 सन् 2023 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 10 माह 01सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत — अपर सिविल न्यायाधीश, क्रम संख्या-4, जयपुर महानगर-प्रथम

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय MM -4 जयपुर महानगर प्रथम
कुलदीप अग्रवाल विरूद्ध विरेन्द्र सिंह
वाद सं. 56/सन् 2021
बनाम विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिवचरण सिंह जाति चौधरी स्थान प्लाट नं. 102, सुल्तान नगर, गुर्जर की थडी, जयपुर वादी ने आपके विरुद्ध वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 29 माह 03 सन् 2023 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 10 माह 01सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर — अपर सिविल न्यायाधीश, क्रम संख्या-4, जयपुर महानगर-प्रथम

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 8450/2022
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
नाम प्रार्थी (1) निखिल (2) निकिता पुत्रान स्व. पप्पू धोबी जाती-धोबी विवाद स्थान-निवासीयान म.न.1/1 सत्यसाईं कॉलेज, टीला नं. 1 जवाहर नगर, जयपुर
मृतक ममता सौंकरिया की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 17.02.2023
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम ममता सौंकरिया पुत्री रामू लाल सौंकरिया पत्नी स्व. पप्पू धोबी जाति धोबी निवासी म.न.1/1 सत्यसाईं कॉलेज, टीला नं. 1 जवाहर नगर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 17 माह 02 सन् 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 05 माह 01 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थीगण ने मृतका श्रीमती ममता सौंकरिया के नाम प्रार्थना-पत्र में वर्णित NPS की जमा राशि बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा हैं
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
मोहर — जिला एवं सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम